Court No. - 85

Case :- APPLICATION U/S 482 No. - 17755 of 2022

Applicant :- Shahjaman And Another
Opposite Party :- State Of U.P.And Another
Counsel for Applicant :- Irshad Husain,Syed Imran Ibrahim
Counsel for Opposite Party :- G.A.,Ajay Kumar Mishra

Hon'ble Gautam Chowdhary,J.

आवेदकगण की ओर से धारा 482 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत यह आवेदन पत्र, मु0अ0सं0 224 सन 2016, अन्तर्गत धारा 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506 भा0दं0वि0, थाना कर्नैलगंज, जिला प्रयागराज में प्रेषित आरोप पत्र दि0 19–5–2021 से उद्भूत वाद सं0 600 सन 2021, जो स्पेशल सी0जे0एम0, प्रयागराज के न्यायालय में लम्बित है तथा इसमें पारित तलबी आदेश दि0 20–7–2021 के विरूद्ध दायर किया गया है।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदकगण निर्दोष हैं, आवेदकगण ने तथाकथित अपराध कारित नहीं किया है तथा संबंधित अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रसंज्ञान/तलबी आदेश सकारण एवं विधि सम्मत नहीं है, आवेदकगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं का कोई अपराध नहीं बनता है।

मामला विचारणीय है, अंगीकृत किया जाता है।

विपक्षी सं0 1 की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने नोटिस प्राप्त कर लिया है।

विपक्षी सं0 2 को नोटिस जारी हो। आवेदकगण की ओर से नोटिस भेजने के संबंध में आवश्यक पैरवी 1 सप्ताह के अन्दर की जाय।

विपक्षीगण 4 सप्ताह में प्रतिशपथपत्र दाखिल करें। तत्पश्चात् आवेदकगण की ओर से 2 सप्ताह में प्रत्युत्तरशपथपत्र दाखिल किया जाय। तत्पश्चात् इस वाद को उपयुक्त न्यायपीठ के समक्ष अविलम्ब सूचीबद्ध किया जाय।

मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत उपरोक्त वर्णित वाद में आवेदकगण के विरूद्ध इस आवेदन पत्र को सूचीबद्ध किए जाने वाली अग्रिम तिथि तक कोई **प्रपीड़क** कार्यवाही नहीं की जाएगी।

दि0 : 23–8–2022
के0सी0सिंह

Digitally signed by KAILASH CHANDRA SINGH
Date: 2022.08.23 17:20:06 IST
Reason:
Location: High Court of Judicature at Allahabad